प्रेस नोट थाना तिलहर

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 13.07.2025

“ARRESTING WANTED ACCUSSED”

(वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी)

“जनपदीय एस.ओ.जी. व थाना तिलहर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना तिलहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 331/25 धारा 103(1) बीएनएस में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त रामलखन पुत्र रामपाल निवासी रोहनिया थाना गोला जनपद खीरी को किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर के नेतृत्व मे चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम ,अवैध शराब, चोरी , लूट , डकैती, गौ तस्कर व तलाश वांछित अपराधी व वारन्टी तथा बरामदगी अवैध शस्त्र व मादक पदार्थ के क्रम मे दिनांक 08.07.2025 को थाना तिलहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 331/25 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित विवेचनाक के क्रम में प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त रामलखन पुत्र रामपाल निवासी रोहनिया थाना गोला जनपद खीरी को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा आज **दिनांक 13.07.2025 को समय करीब 11.33 AM** बजे **राजकीय बाल संरक्षण गृह शाहजहाँपुर** के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः -

रामलखन**(उम्र करीब 18 वर्ष 06 माह)** पुत्र रामपाल निवासी रोहनिया थाना गोला जनपद खीरी

पंजीकृत अभियोग का विवरणः -

मु0अ0सं0 331/25 धारा 103(1) बीएनएस थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 331/25 धारा 103(1) बीएनएस थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थानः-

दिनांक 13.07.2025 समय करीब 11.33 AM , **स्थान-** राजकीय बाल संरक्षण गृह शाहजहाँपुर

अभियुक्त से पूँछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह पिछले लगभग 09 महीनों से गुरुकुल महाविद्यालय, रुद्रपुर तिलहर में अध्ययनरत है। पढ़ाई में रुचि कम होने के कारण वह खेलकूद व जिमनास्टिक में अधिक रुचि रखता है। वर्ष 2025 में उसने दशमेश खालसा इंटर कॉलेज, पचतौर खीरी से कक्षा 10 की परीक्षा दी थी, जिसमें वह अनुत्तीर्ण हो गया था। दिनांक 07/08.07.2025 की रात्रि को वह यज्ञशाला में चटाई पर अपने साथी सुधांशु के साथ लेटा था। उसी गुरुकुल में उसका पड़ोसी शिवाराज (कक्षा 7, दो माह से अध्ययनरत) भी सोया हुआ था, जिसकी मच्छरदानी फटी हुई थी। रामलखन व शिवाराज ने मिलकर लगभग 11:00 बजे रात तक सुई-धागे से मच्छरदानी की सिलाई की। सिलाई के बाद शिवाराज अपनी मच्छरदानी में लेट गया। रामलखन ने बताया कि यज्ञशाला में जिस स्थान पर मृतक अनुराग सोया करता था, वहां सोने को लेकर पूर्व में भी दोनों के बीच कहासुनी हो चुकी थी। अनुराग द्वारा अपशब्द कहे जाने से रामलखन क्षुब्ध था और उसने उसे मारने का मन बना लिया था। उसने पहले बाथरूम में यह देखने के लिए गया कि कोई जाग तो नहीं रहा, और 5 मिनट बाद

वापस आ गया। यज्ञशाला में सभी छात्र सोए हुए थे। उसने अनुराग को फिर से साइड में होने को कहा, लेकिन मना करने व बड़बड़ाने पर उसने गुस्से में अपने पैर से अनुराग के सिर पर जोरदार वार किया, फिर एक हाथ से गर्दन व सिर दबाकर दूसरे हाथ से कान के पास तीन-चार जोरदार घूंसे मारे, जिससे अनुराग अचेत हो गया और उसके मुंह व नाक से खून निकलने लगा। अभियुक्त ने घटना के समय आसमानी सफेद पट्टीदार लोअर पहना हुआ था, जो खून से सना गया। घटना के बाद वह चुपचाप जाकर अपनी चटाई पर सो गया। रात्रि लगभग 03:30 बजे माधव व योगेंद्र द्वारा जगाए जाने पर, जिन्होंने बताया कि अनुराग के मुंह से खून आ रहा है, उसने उन्हें धमका कर चुप रहने को कहा। बाद में उन दोनों ने उत्तम भ्राता व प्रणव भ्राता को जगाया, तब रामलखन ने आशंका के चलते खुद को निर्दोष दिखाने हेतु सचिन भ्राता को जगाने चला गया। रामलखन ने आगे बताया कि घटना के समय पहना हुआ लोअर, जिस पर अनुराग का खून लगा था, उसने चुपचाप निकालकर अपने बक्से में छिपा दिया था, जिसे बाद में धोने की योजना थी, लेकिन अवसर न मिलने पर वह लोअर आज पुलिस को बरामद करा दिया है।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 श्री राकेश कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
2. नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी एस.ओ.जी. टीम व सर्विलान्स टीम जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री विनीत कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर।
4. हे0कां0 385 शैलेन्द्र कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर।
5. हेउपेन्द्र कुमार 112 0का0 थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।